तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थना पत्र/एलआर/2084/2022/जयपुर जगमोहन वगैरहा बनाम डॉ. राकेश कुमार मीणा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री समीर अहमद, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री मोहम्म्द ईकबाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 18–10–2022

यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत डॉ. राकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 163/2021 बउनवान सत्यधीर बनाम सरकार व अन्य को किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अन्तरण किए जाने बाबत पेश किया गया है।

हमने आलोच्य प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता एवं स्थगन के संबंध उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने आलोच्य प्रकरण में आदेश दिनांक 26–4–2022 द्वारा पीठासीन अधिकारी की पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त किया जाना निर्धारित किया है। मण्डल के उक्त आदेश के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र दिनांक 12–9–2022 द्वारा अन्य बिन्दुओं को दर्शाते हुए आलोच्य प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से उचित न्याय नहीं मिलने की आंशका व्यक्त करते हुए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् न्याय किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थना पत्र/एलआर/2084/2022/जयपुर जगमोहन वगैरहा बनाम डॉ. राकेश कुमार मीणा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाना परिभाषित भी होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के प्रति अविश्वास पैदा हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में भविष्य में आहूत की जाने वाली कार्यवाही उसके विरूद्ध निर्णित होने की आशंका व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा की गयी बहस के मद्देनजर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आलोच्य प्रकरण को अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तरण किया जाना उचित समझते है। जिससे पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न नहीं हो तथा पक्षकारान भविष्य में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही से सतुंष्ट हो सके। तदनुसार प्रार्थीगण का आलोच्य प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 163/2021 बउनवान सत्यधीर बनाम सरकार व अन्य को उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय जयपुर के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। संबंधित पीठासीन अधिकारी आलोच्य प्रकरण का समस्त अभिलेख नवीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थना पत्र/एलआर/2084/2022/जयपुर जगमोहन वगैरहा बनाम डॉ. राकेश कुमार मीणा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तरण किया उचित समझते है। जिससे आलोच्य अपील का विधिनुसार उचित निस्तारण हो सके।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायहित में ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 238/2021 बउनवान परमार छितूभाई बनाम रामेश्वर प्रसाद को न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष अन्तरित किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर आलोच्य प्रकरण का समस्त अभिलेख नवीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष भेजा जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर.मीणा)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थना पत्र/एलआर/2084/2022/जयपुर जगमोहन वगैरहा बनाम डॉ. राकेश कुमार मीणा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4749/2021/झुंझुनूं मुन्नालाल बनाम राजवीरसिंह चौधरी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित

श्री अभिषेक छाबडा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री लक्ष्मण कंवरिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2
श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 12
श्री उमेश कुमार, अधिवक्ता, शेष अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 07–04–2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 233 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2019 बउनवान मुन्नालाल बनाम अशोक कुमार वगैरहा को जिले से बाहर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

हमने आलोच्य प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु के संबंध उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से उचित न्याय नहीं मिलने की आंशका व्यक्त करते हुए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् यह भी आवश्यक है कि पक्षकारान को महसूस हो कि उनके साथ न्याय किया गया है। उल्लेखनीय है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4749/2021/झुंझुनूं मुन्नालाल बनाम राजवीरसिंह चौधरी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी के प्रति अविश्वास पैदा हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में भविष्य में आहूत की जाने वाली कार्यवाही उसके विरूद्ध निर्णित होने की आशंका व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस के मद्देनजर एवं व्यापक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारी के समक्ष अन्तरण किया उचित समझते है। जिससे पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न नहीं हो तथा पक्षकारान भविष्य में की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही से सतुंष्ट हो सके। तदनुसार प्रार्थी का आलोच्य प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 42/2019 बउनवान मुन्नालाल बनाम अशोक कुमार वगैरहा को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के न्यायालय में अन्तरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। संबंधित पीठासीन अधिकारी आलोच्य प्रकरण का समस्त अभिलेख नवीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रकरण के अन्तरित होने के उपरान्त राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर विधिक प्रकिया अपनाते हुए आलोच्य अपील में उभयपक्ष को सुनकर तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से निस्तारण करें। निर्णय प्रति संबंधित पीठासीन अधिकारियों को नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुन्तकिली प्रार्थनापत्र/टीए/4749/2021/झुंझुनूं मुन्नालाल बनाम राजवीरसिंह चौधरी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(सी.आर.मीणा) **सदस्य**	